सार-समाचार

प्रगति इंटरनेशनल स्कूल में क्रिसमस मनाया

कोटा, (निसं)। प्रगति केम्पस स्थित प्रगति इंटरनेशनल स्कूल में नर्सरी से कक्षा द्वितीय तक के नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा क्रिसमस पर्व बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को आकर्षक सजावट एवं लाल-सफेद थीम से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण उल्लास मय हो उठा। कार्यक्रम में छोटे-छोटे बच्चे सांता क्लॉज और विभिन्न पात्रों की मनमोहक वेशभूषा में नजर आए। बच्चों ने क्रिसमस से संबंधित कविताएँ, गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। शिक्षकों ने बच्चों को क्रिसमस पर्व के महत्व के बारे में सरल शब्दों में जानकारी देते हुए प्रेम, सहयोग, सद्भाव और खुशी का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों को टॉफियां व उपहार वितरित किए गए, जिससे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में आपसी प्रेम, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और उत्सव की सकारात्मक भावना का विकास करना रहा। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉ. फैमिना ने कहा कि, ऐसे आयोजन बच्चों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास तथा सामाजिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा प्रयास रहे कि विद्यार्थी केवल शैक्षणिक रूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक व सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध बनें। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं तथा कार्यक्रम का समापन हर्षोल्लास और आनंदमय वातावरण के साथ हुआ।

नयापुरा मुक्ति धाम से अस्थियां चोरी

कोटा, (निसं)। नयापुरा थाना क्षेत्र स्थित मुक्तिधाम से अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया हैं। परिजन बुधवार को तीसरे की रस्म अदा करने के लिए नयापुरा मुक्तिधाम पहुंचे तो उन्हें वहां रखी अस्थियां गायब मिली। स्थिति देखकर परिजनों में शोक के साथ गहरा आक्रोश फैल गया। सुमन शर्मा (75) निवासी उम्मेद पार्क नयापुरा का 22 दिसंबर को देहांत हो गया था। उनके बेटे चितरंजन शर्मा ने बताया कि अंतिम संस्कार के दौरान एक संदिग्ध युवक ने क्रियाकर्म के नाम पर उनसे पैसे मांगे थे। युवक ने धमकी दी थी कि पैसे नहीं देने पर अस्थियां नहीं मिलेगी। उस समय परिजनों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अस्थियां गायब मिलने से उनकी आशंका सच साबित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर थाने पहुंचा और पुलिस के सामने विरोध जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नयापुरा मुक्तिधाम से पहले भी अस्थियां चोरी होने की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने मुक्तिधाम में सीसीटीवी कैमरे लगाने और स्थाई गार्ड लगाने की माँग की ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।

बीते 18 घंटे में शहर में तीन नेत्रदान संपन्न

कोटा, (निसं)। नेत्रदान के प्रति शहर में जागरूकता बढ़ती जा रही है, समाचार पत्रों के लगातार सहयोग से सटीक और सकारात्मक जानकारी पाठकों तक जाने से शहर में नेत्रदान का प्रतिशत बढ़ा हैं। इसी माह में संस्था शाईन इंडिया के सहयोग से, 26 दिवंगतों के नेत्रदान हाडोती संभाग में संपन्न हुए हैं। मंगलवार सुबह में, सबसे पहले दादाबाड़ी निवासी प्रकाश हरसोरा के पुत्र वैभव जैन का अल्प आयु में आकस्मिक निधन होने के उपरांत परिजनों ने शोक की घड़ी में नेत्रदान के कार्य संपन्न करवाया। मंगलवार शाम को महावीर नगर थर्ड निवासी सत्य प्रकाश अग्रवाल (सेवानिवृत्त बैंक कर्मी) के आकस्मिक निधन के उपरांत उनके पुत्र शशांक अग्रवाल ने सभी की सहमति लेने के उपरांत पिता सत्य प्रकाश का नेत्रदान संपन्न करवाया। इसी क्रम में स्टेशन क्षेत्र, जैन मंदिर रोड़ निवासी विनोद कुमार देवानी के आकस्मिक निधन पर उनके बेटे पंकज देवानी ने,चाचा सतीश और विजय कुमार देवानी की सहमति से पिता विनोद का नेत्रदान संपन्न करवाया। ज्ञात हो कि, काफी समय पहले विनोद के पिता भगवान दास का भी नेत्रदान परिजनों ने संपन्न करवाया था। इस तरह से बीते 18 घंटे में शहर में शाईन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से 6 नेत्रों का संकलन हुआ। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि,अभी तक इस माह 26 दिवंगतों के नेत्रदान संपन्न हो चुके हैं।

नगर निगम कोटा की अतिक्रमण हटाने एवं चाईनीज मांझा जप्ती की कार्यवाही

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि नगर निगम कोटा द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार की जा रही कार्यवाही के क्रम में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की एवं प्रतिबंधित चाईनीज मांझा जप्त एवं नष्ट करने की कार्यवाही की गई। जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरूण कांत सोमानी के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता राहुल पाल एवं जाप्ता प्रभारी संजीव कुमार एवं अतिक्रमण टीम द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त परिवाद के आधार पर सोगरीया क्षेत्र में अतिकर्मी द्वारा किए गए अस्थाई अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही अतिक्रमण टीम एवं अग्निशमन टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए राकेश व्यास मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अमजद खान अग्निशमन अधिकारी मय अतिक्रमण दत्ता एवं अग्निशमन टीम सहित रामपुरा, नयापुरा के क्षेत्र में प्रतिबंधित चाईनीज माझे को जप्त करते हुए जलाकर नष्ट किया गया एवं मुनादी करते हुए पतंग विक्रेताओं को साईनीज मांझा नहीं रखने हेतु एवं न बेचने हेतु सख्त चेतावनी भी दी गई। यह कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।

दो सरकारी स्कूलों में भेंट किए स्वेटर, डेस्क, मौजे, टोपी व अन्य सामान

कोटा, (निसं)। प्रयास राजस्थान, कोटा चैप्टर द्वारा शीत ऋतु में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दो सरकारी विद्यालयों में सहायता सामग्री का वितरण किया गया। यह सेवा कार्य सदस्यों के वार्षिक पेंशन अंशदान के 1 प्रतिशत स्वैच्छिक सहयोग से संपन्न हुआ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गाँवड़ी में ऊनी जर्सी, टोपी व सोक्स तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संतोषी नगर, कोटा में छात्रों को ऊनी जर्सियां, डेस्क, दो पानी की टंकियां, दरियां एवं टाटपट्टियां प्रदान की गईं। बच्चों के चेहरों पर खिली मुस्कान ने इस पहल की सार्थकता को स्पष्ट किया। कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष धीरेन्द्र माथुर, अध्यक्ष पदम कुमार जैन, सचिव कमल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार गौड़, डायरेक्टर शांति लाल जैन, आर.पी. शर्मा, संरक्षक सुरेश कुमार बैरवा, डी.आर. क्षत्रिय एवं नरेश चंद्र सिंघल की गरिमामयी उपस्थिति रही। भविष्य में भी ऐसी सामाजिक पहले निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया गया।

छबड़ा सब्जीमंडी में नकली नोटों का सर्कुलेशन

छबड़ा (निसं)। यहां सब्जी मंडी में बुधवार को नकली नोटों के सर्कुलेशन का मामला सामने आया है। फुटकर सब्ज़ी विक्रेताओं के पास 100 और 200 रुपये के एक ही सीरियल नंबर वाले कई नकली नोट मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी में एक थोक सब्जी विक्रेता को लेन-देन के दौरान 100 रुपये के तीन और 200 रुपये के दो नोट दिए। जांच करने पर सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर पाया गया। कुल 700 रुपये के ये नोट नकली हैं। मामले को लेकर दीपक सुमन की ओर से संदिग्ध नोटों की जांच के लिए लिखित शिकायत पत्र सौंपा। इस पर पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी नकली नोट संभवतया: एक ही असली नोट से फोटो कॉपी किए गए हैं। हालांकि, इसकी पुष्टि के लिए नोटों को विस्तृत जांच की जा रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी ताराचंद बंशीवाल ने सीआई को जांच के लिए निर्देषित कर दिया हैं। वही, पुलिस नकली नोटों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पता लगाने में जुटी है। पुलिस ने दुकानदारों व व्यापारियों से सतर्क रहने और संदिग्ध नोट मिलने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है।

बालीनाथ जयंती पर होगा प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान

बून्दी (निसं)। अखिल भारतीय बैरवा महासभा जिला शाखा बूंदी द्वारा बैरवा दिवस एवं महर्षि बालीनाथ जयंती का आयोजन 25 दिसंबर को बाईपास रोड स्थित श्री बाबा रामदेव मन्दिर एवं छात्रावास परिसर में किया जायेगा। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के जिला महामंत्री मोहनलाल बैरवा ने समस्त बैरवा बन्धुओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि बैरवा दिवस पर 80 प्रतिशत से अधिक बोर्ड कक्षाओं में अंक लाने वाले छात्र/छात्राओं तथा राज्य स्तर पर खेलकूद में भाग लेने वालो, नवनियुक्ति अधिकारियों-कर्मचारियों तथा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालो तथा भामाशाहो को सम्मानित किया जायेगा।

प्रसुताओं व नवजात शिशुओं को ऊनी वस्त्र वितरित किये गये

कोटा, (निसं)। संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जेके लोन अस्पताल में भर्ती नवजात शिशुओं और प्रसूताओं को ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराए गए।

नयन कालरा ने बताया कि बुधवार को संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जेके लोन सेवा प्रकल्प के अंतर्गत जेके लोन अस्पताल के महिला एवं शिशु वार्ड में 100 नवजात शिशुओं को वूलन सेट (स्वेटर, पजामा, मौजे और टोपी) एवं 100 माताओं को वूलन कैप वितरित की गई। ट्रस्ट के नवीन खत्री ने बताया कि आमजन के सहयोग से अस्पताल परिसर में ट्रस्ट द्वारा प्रतिदिन 300 से 400 जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता हैं, ओम मलिक, वंदना, शरण जीत सिंह ने बताया कि परिसर में खीर, कचोरी एवं 40 वूलन सेट विजय मसंद एवं 100 टोपी तरुण चैनानी के सहयोग से वितरित किए गए।

इसके अतिरिक्त 60 वूलन सेट शरण जीत सिंह, ओम मलिक, ललित गुप्ता, कपिल गर्ग शेफाली अरोरा की ओर से उपलब्ध कराए गए। वंदना ने बताया कि आगामी वर्ष में निःशुल्क सामुहिक विवाह एवं मेडिकल कैंप ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए जाएंगे। वितरण में नवीन खत्री, ओम मलिक शरण जीत सिंह, वंदना ने सहयोग किया आप सभी के स्नेह से इस सेवा को और विस्तार देने के लिए संकल्पित है।

■ **अस्पताल परिसर में ट्रस्ट द्वारा प्रतिदिन 300 से 400 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है**

संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जेके लॉन अस्पताल में प्रसुताओं व नवजात शिशुओं को ऊनी वस्त्र उपलब्ध करवाये हैं।

शिविर में 368 लोग लाभान्वित

कोटा, (निसं)। सिंधु समाज कल्याण समिति द्वारा बुधवार को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर सिंधु होस्पिटल में आयोजित किया गया। सिंधु होस्पीटल के अध्यक्ष प्रकाश वीर नाथानी एवं संरक्षक किशोर मदनानीं ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर सिंधु हॉस्पिटल एवं नैनानी चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समाजसेवी दादा नेचलदास नेनानी की स्मृति में आयोजित किया गया।

इस शिविर में 368 लोगों ने परामर्श एवं जांचों का लाभ लिया। शिविर में डॉ.महेंद्र कुमार गुप्ता (नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ), डॉक्टर विनय ग्वालानी (अस्थि रोग विशेषज्ञ), डॉक्टर संगीता जैन (प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ) डॉ.मुस्तफा बोहरा (जनरल फिजिशियन) डॉ. साकेत भण्डारी (चर्म एवं योंन रोग विशेषज्ञ) डॉ.मनाल शेख (मनोचिकित्सा विशेषज्ञ) डॉ.गर्वित विजय (फिजियोथैरेपिस्ट) ने अपनी सेवाएं निःशुल्क दी।

चिकित्सा शिविर में लोगों को मिल रही राहत

रामगंजमण्डी, (निसं)। राष्ट्रीय आयुष मिशन व आयुर्वेद विभाग कोटा के तत्वावधान में दस दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद अन्तरंग क्षार-सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर मेड़तवाल वैश्य समाज भवन जुल्मी रोड रामगंजमंडी में जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटन दर्द, सियाटिका, कील आदि रोगों में पंचकर्म व अग्निकर्म चिकित्सा से रोगियों को 60 से 80 प्रतिशत तक आराम मिल रहा है तथा पंचकर्म व अग्निकर्म चिकित्सा काउन्टर पर रोगियों की भारी भीड़ रहती है। शिविर प्रभारी डॉ.सुशील बैरागी ने जानकारी दी कि क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा राज्य चिकित्सा शिविर में अर्श (पाईल्स), भगंदर (फिस्टुला), परिकर्तिका (फिशर) के क्षार सूत्र ऑपरेशन हेतु 91 रोगियों की बुधवार तक पंजीकरण हुआ है तथा एक जोड़ो के दर्द, कमर दई, सियारिका, चर्मरोग, श्वांस, उच्चरक्तचाप, मधुमेह, स्त्री रोगों आदि के 1422 बहिरंग रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श व औषध वितरण किया गया। सहायक प्रभारी डॉ.दीपक आर्य ने बताया कि शल्य चिकित्सकों डॉ.वी.एल.यादव व डॉ. हरनारायण मीणा की टीम ने आज 15 ऑपरेशन किये हैं। साथ ही भर्ती मरिजों को निःशुल्क भोजन, बिस्तर एवं औषध वितरण किया जा रहा है। सहायक प्रभारी डॉ.नरेश कुमार ने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा में डॉ.नीलम अग्रवाल व डॉ.नेहा गंगवानी द्वारा आज तक 53 रोगियों को स्नेहन-स्वेदन, बस्ती, रक्तमोक्षण, कपिंग थेरेपी को लाभ प्राप्त हुआ है। अग्निकर्म चिकित्सा में बुधवार तक डॉ.कौशल किशोर शर्मा, डॉ.कपिल सैनी, डॉ.सुप्रीत कौर द्वारा 308 रोगियों को जोड़ो के दर्द में बड़ी राहत मिल रही है। वहीं डॉ. धनश्याम वैष्णव सेवानिवृत चिकित्साधिकारी द्वारा भी शिविर की व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। स्वर्णप्राशन चिकित्सा में 0-16 वर्ष तक के 42 बच्चों को रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली स्वर्णप्राशन दवा पिलाई गई। बहिरंग विभाग में शत्रुघ्न शर्मा, डॉ.शिवशंकर सोनी, डॉ.अरविन्द जादौन, डॉ.मुक्ति शर्मा, डॉ.अनिता गौतम, डॉ.राकेश वेदवाल, डॉ.निरंजन परालिया व डॉ. पूजा मीणा ने अपनी चिकित्सीय सेवायें प्रदान की। रोगियों के पंजीकरण में डॉ.बाबूलाल बैरवा व डॉ.दीनदयाल बैरवा ने अपनी सेवा दी। योग कक्ष प्रतिदिन 7 से 8 बजे दिनेश कुमार द्वारा योगाभ्यास करवाया जा रहा है। शिविर में कम्पाउन्डर व परिचारकों द्वारा सहयोग किया गया।

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 1-ज-1 विज्ञान नगर का मूल आवंटन पत्र कही खो गया है। मिलने पर सम्पर्क करे-
सम्पर्क-कैलाशचन्द तायल
1-ज-1 विज्ञान नगर कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1810 **विज्ञप्ति** दिनांक 24/12/25

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाडी में स्थित कृषि भूमि योजना रिद्धि-सिद्धि नगर-। खसरा नं. 354 में स्थित भूखण्ड संख्या 312 आवेदक/आवेदिका श्रीमती कविता करवासरा पत्नि श्री प्रदीप कुमार बडेसरा एवं श्री प्रदीप कुमार डेसरा पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह निवासी फ्लेट संख्या 1 बी/604 एमरल्ड रेजीडेन्सी, बून्दी रोड कोटा राज. द्वारा ऑन लाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 5273 दिनांक 08/05/2008 को श्रीमती सुनीता सुवालका पत्नि श्री नीरज सुवालका के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा जर्ये मुख्तारआम लड्डा एण्ड लड्डा प्रोपर्टीज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर्स प्राइवेट जर्ये निदेशक दिनेश लड्डा पुत्र श्री सत्यनारायण लड्डा एवं अशोक लड्डा पुत्र श्री बी.एल. लड्डा द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान दिनांक 31/01/2020 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।
अतः श्रीमती कविता करवासरा पत्नि श्री प्रदीप कुमार बडेसरा एवं श्री प्रदीप कुमार बडेसरा पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1727 **विज्ञप्ति** दिनांक 17/12/25

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रायपुरा योजना "रॉयल पार्क" खसरा नं. 61 में स्थित भूखण्ड संख्या 69 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्री सुधीर सक्सेना पुत्र श्री प्रकाश चन्द सक्सेना निवासी बी-187, तलवण्डी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 714 दिनांक 31.03.2017 को श्रीमती सोनिया सक्सेना पुत्री श्री प्रकाश चन्द्र सक्सेना के पक्ष में जारी किया गया था। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 19.01.2025 को हो चुकी है। पट्टेधारी द्वारा वसीयतनामा दिनांक 30.03.2025 को आवेदक के पक्ष में आलेखित किया गया है। इस वसीयतनामे के आधार पर आवेदक द्वारा भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः श्री सुधीर सक्सेना पुत्र श्री प्रकाश चन्द सक्सेना के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1800 **विज्ञप्ति** दिनांक 23/12/25

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम आनन्दपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना देव नगर भूखण्ड संख्या 46 व 47 खसरा नं. 63, 64 आवेदक/आवेदिका श्रीमती कमला बाई पत्नि स्व. श्री शंकर लाल निवासी चोमाकोटा (चौमा मालियान) तहसील दीगोद जिला कोटा द्वारा पट्टे हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार भूखण्ड संख्या 47 खातेदार रामेश्वर मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 22.12.2003 को श्री शंकर लाल पुत्र श्री राम नारायण अग्रवाल को किया गया। क्रेता श्री शंकर लाल की मृत्यु संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 19.02.2020 को हो चुकी है। संलग्न वारिसान प्रमाण पत्र अनुसार मृतक के विधिक वारिसान पत्नि श्रीमती कमला बाई, पुत्र दीपक जैन है। वारिसान दीपक जैन द्वारा सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवेदिका के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है एवं खातेदार रामेश्वर मीणा पुत्र श्री रामकरण मीणा द्वारा भूखण्ड संख्या 46 का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 22.12.2003 को आवेदिका के पक्ष में किया गया है।
अतः श्रीमती कमला बाई पत्नि स्व. श्री शंकर लाल के पक्ष में भूखण्ड संख्या 46 व 47 क्रा पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :752 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत् आम सूचना** दिनांक : 24.11.2025

नगर विकास न्यास कोटा की रानपुर आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या F-191 का आवंटन/विक्रय/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 16.05.2013 को सोनिया सक्सेना पुत्री श्री प्रकाश चंद सक्सेना को किया गया था। आवंटी सोनिया सक्सेना की मृत्यु दिनांक 19.01.2025 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी., शपथ पत्र, वसीयतनामा, इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही है।
अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या F-191 योजना रानपुर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री सुधीर सक्सेना पुत्र श्री प्रकाश चंद सक्सेना के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :751 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत् आम सूचना** दिनांक : 24.12.2025

नगर विकास न्यास कोटा की विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 168 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 24.04.2010 को श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा को किया गया था। आवंटी श्री महेन्द्र शर्मा की मृत्यु दिनांक 10.01.2019 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी., शपथ पत्र, रिलीज डीड इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण से चाही जा रही है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 168 योजना विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी स्व. श्री महेन्द्र शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-1529 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत् आम सूचना** दिनांक 24/12/25

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की नई धानमण्डी व्यावसायिक योजना के भूखण्ड संख्या 71 का नाम हस्तान्तरण प्राधिकरण के क्रमांक 1507 दिनांक 10.02.2022 क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट का श्री सुभाष चन्द जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन के नाम हो चुका है। एंव भूखण्ड से लगे प्लेटफार्म 2250 वर्गफीट की रजिस्ट्र प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी की गई थी। जिसे आवंटी के द्वारा पंजीयन कार्यालय से दिनांक 13.10.2022 को पंजीकृत करवा लिया गया है। श्री सुभाष चन्द जैन की मृत्यु दिनांक 22.11.2023 को हो चुकी है।
स्व. श्री सुभाष चन्द जैन पुत्र माणक चन्द जैन की मृत्यु से पूर्व अपने जीवनकाल में पंजीकृत वसीयतनाम (अन्तिम इच्छा पत्र) अपने पुत्रो श्री सुबोध कुमार जैन एवं श्री सुकेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री सुभाष चन्द जैन के पक्ष में निष्पादित की गई है। वसीयत के आधार पर श्री सुबोध कुमार जैन एवं श्री सुकेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री सुभाष चन्द जैन के द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण मे अपने नाम स्वामित्व हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नामहस्तांरण स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 71 एवं भूखण्ड से लगे प्लेटफार्म योजना नई धानमण्डी व्यावसायिक योजना का नामहस्तांरण स्वीकृति श्री सुबोध कुमार जैन एवं श्री सुकेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री सुभाष चन्द जैन के संयुक्त नाम से क्षेत्रफल 2700 एंव प्लेटफॉर्म 2250 कुल क्षेत्रफल 4950 वर्गफीट का नाम हस्तान्तरण स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक एफ11/विक्रय/2025/702 **विक्रय स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना** दिनाक 24/12/25

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास /भूखण्ड संख्या 1348 बसन्त विहार योजना कोटा का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 21 दिनांक 23.10.1984 द्वारा श्री प्रहलाद राम पुत्र श्री किशन लाल को आंवटित किया गया था। जिसकी रजिस्ट्री क्रमांक 1666 दिनांक 22.06.2007 को हो चुकी है। आवंटी के द्वारा श्री राजकुमार मालव पुत्र श्री रामनारायण मालव को उक्त भूखण्ड का मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड कि विक्रय स्वीकृती वाही गई है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम विक्रय की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या 1348 बसन्त विहार योजना कि विक्रय स्वीकृति मुख्तारआम श्री राजकुमार मालव पुत्र श्री रामनारायण मालव के नाम से जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति देई जिला-बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक :- 675 - 684 दिनांक :- 19/12/2025

ऑफलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति देई में सफाई कार्य हेतु सफाई एवं कचरा परिवहन कार्य हेतु स्वीकृत बजट 07.00 लाख एवं जल व्यवस्था हेतु बजट 06.00 लाख की सीमा में सेवा प्रदाताओं पंजीकृत संवेदकों / सहकारी संस्थाओं / स्वयंसेवी संस्थाओं / भूतपूर्व सैनिक सहकारी संस्थाओं आदि से मानव संसाधन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत सेवाओं के उपापन के संबंध में दिनांक 30.12.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑफलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सफल बोलिदाता की तकनीकी बिड दिनांक 30.12.2025 को दोपहर 02.00 बजे खोली जायेगी। निविदाओं से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.agriculture.rajasthan.gov.in/dam/ पर भी देखा जा सकता है।
UBN No. : DAM2526SSOB01098 (सफाई एवं कचरा परिवहन कार्य)
UBN No. : DAM2526SSOB01099 (जल व्यवस्था)
राज.संवाद/सी/25/16406 प्रशासक सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2773 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-24/12/25

आवास संख्या 4-घ-20 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री ईश्वर दास को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री ईश्वर दास द्वारा दिनांक 21.11.1988 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत पूर्व में श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री ईश्वर दास द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 28.12.1983 को मुख्तार आम आलेखित कर श्री बाबूलाल पुत्र श्री कालूराम को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री बाबूलाल पुत्र श्री कालूराम मुख्तार आम श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री ईश्वर दास द्वारा मुख्तार आम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 23.03.1990 को श्रीमती बिरंजीस जहां पत्नी स्व. श्री शेख हैदर हुसेन को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती बिरंजीस जहां पत्नी स्व. श्री शेख हैदर हुसेन की मृत्यु दिनांक 22.01.2012 को एवं इनके पति श्री शेख हैदर हुसेन की मृत्यु दिनांक 30.12.1988 को हो चुकी है। श्रीमती बिरंजीस जहां पत्नी स्व. श्री शेख हैदर हुसेन द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 26.01.2001 को श्री अशफाक हुसैन पुत्र स्व. श्री हैदर हुसैन के पक्ष में आलेखित की गई। श्री अशफाक हुसैन पुत्र स्व. श्री हैदर हुसैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-घ-20 विज्ञान नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।
अतः उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री अशफाक हुसैन पुत्र स्व. श्री हैदर हुसैन के नाम करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अशफाक हुसैन पुत्र स्व. श्री हैदर हुसैन के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अशफाक हुसैन पुत्र स्व. श्री हैदर हुसैन के नाम कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2025/3638 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-22.12.2025

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के न्यायधीश रखी गयी भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) युडीएच/3/2012 मई 31.2012 के आध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दे। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं	स्थान/कॉलोनी का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल वर्गफीट
1	श्री इब्राहिब खां पुत्र श्री अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी छबड़ा तह. छबड़ा जिला बारां (राज.)	694	बसंत विहार कॉलोनी छबड़ा	110 and 111	40x40 =1600

नोट- उक्त भूखण्ठ अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।
अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबड़ा

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2025/6443 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-15.12.2025

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के न्यायधीश रखी गयी भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) युडीएच/3/2012 मई 31.2012 के आध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दे। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं	स्थान/कॉलोनी का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल वर्गफीट
1	श्रीमती मीना पत्नी श्री धर्मेन्द्र गालव जाति ब्राहम्ण निवासी कैशोली तह. छबड़ा जिला बारां (राज.)	177	प्रताप नगर कॉलोनी छबड़ा	86	25x40 =1000

नोट- उक्त भूखण्ठ अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।
अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबड़ा

AU SMALL FINANCE BANK

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट-IV-A
नियम 8(6) के परन्तुक को देखें
अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एंव पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तें व सपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी विक्रय सूचना
आमजन को साधारणतया तथा ऋणी, सहऋणी, जमानतदार व बधंककर्ता को विशेष रूप से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बन्धक अचल सम्पत्तियों का कब्जा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) के नाम से ज्ञात जो कि आगे एयू एस एफ बी सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को "जैसे है जहाँ है" एवं जो भी है जैसा भी है के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का ब्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है।
यह सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

ऋण खाता संख्या एवं ऋणी/ सह-ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम	13(2) मांग नोटिस की दिनांक व राशि एवं भौतिक कब्जे की दिनांक एवं बकाया राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय एवं ईएमडी जमा की अंतिम तिथि बोलि और दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण का स्थान, निरीक्षण तिथि
ऋण खाता संख्या: 2306225155419990 मेसर्स माधवी ऑयल इण्डस्ट्रिज एलएलपी जरिए पार्टनर्स श्री कृष्ण कुमार मित्तल व श्री अरविन्द कुमार मित्तल (ऋणी/बंधककर्ता) श्री कृष्ण कुमार मित्तल पुत्र श्री अर्जुन कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता) श्री अरविन्द कुमार मित्तल पुत्र श्री अरुण कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता) श्रीमती अल्का मित्तल पत्नी श्री अरविन्द कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता) श्रीमती संजना मित्तल पत्नी श्री कृष्ण कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता) श्री अरुण कुमार मित्तल पुत्र श्री नारायण प्रसाद मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता)	13(2) मांग सूचना दिनांक 30 दिसम्बर 2024 ऋण खाता संख्या: 2306225155419990 ₹ 10,31,29,516/- (रु. दस करोड़ इकत्तीस लाख उनतीस हजार पांच सौ सोलह मात्र) दिनांक 30 दिसम्बर 2024 तक भौतिक कब्जा दिनांक 03 जून 2025 को किया गया। ऋण खाता संख्या: 2306225155419990 ₹ 10,73,40,268/- (रु. दस करोड़ तिहत्तर लाख चालीस हजार दो सौ अड़सठ मात्र) दिनांक 17 दिसम्बर 2025 तक भविष्य का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त	21 जनवरी 2026 दोपहर 2:00 बजे से सायं 4:00 बजे (5 मिनट के असिमित विस्तार के साथ) बोलि प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 को सायं 06:00 बजे तक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, बैंक शाखा : 2-सी-7, तलवण्डी सर्किल, कोटा, राजस्थान 324005 ई-मेल : bhanu.singh3@aubank.in निरीक्षण दिनांक : 08-09 जनवरी 2026

सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी राशि एवं निविदा वृद्धि राशि (राशि रू. में)
सम्पत्ति नं. 1 कॉमर्शियल सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, शॉप नं. पी-5, ग्राउण्ड फ्लोर (बिना छत अधिकार के), स्थित मोरी के हनुमान मंदिर के सामने, पुरानी धानमण्डी, कोटा, राजस्थान, एरिया क्षेत्रफल 185 वर्ग फीट, जो कि श्रीमती अल्का मित्तल के स्वामित्व में है। सीमाएँ:- पूर्व: शॉप नं. पी-4 पश्चिम: शॉप नं. पी-6 उत्तर: कॉमन पैसेज दक्षिण: हेमन्त जैन व कमल किशोर का मकान कुल निर्मित एरिया 185 वर्ग फीट लगभग	**सम्पत्ति नं. 1 के लिए** आरक्षित मूल्य : रु. 34,40,000/- (रु. चौंतीस लाख चालीस हजार मात्र) ईएमडी : रु. 3,44,000/- (रु. तीन लाख चौंवालीस हजार मात्र) बिड इंक्रीमेंटल राशि : रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
सम्पत्ति नं. 2 आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, प्लॉट नं. ए-4 (उत्तर), स्थित जवाहर नगर, गांव बालाकुण्ड, तहसील - लाडपुरा, कोटा, राजस्थान, एरिया क्षेत्रफल 1440 वर्ग फीट जो कि श्री अरविन्द कुमार मित्तल व श्री कृष्ण कुमार मित्तल के स्वामित्व में है। सीमाएँ:- पूर्व: प्लॉट नं. ए-5 पश्चिम: प्लॉट नं. ए-3 उत्तर: रोड दक्षिण: प्लॉट नं. ए-4 का बचा हिस्सा कुल निर्मित एरिया 4320 वर्ग फीट लगभग	**सम्पत्ति नं. 2 के लिए** आरक्षित मूल्य : रु. 88,00,000/- (रु. अठ्यासी लाख मात्र) ईएमडी : रु. 8,80,000/- (रु. आठ लाख अस्सी हजार मात्र) बिड इंक्रीमेंटल राशि : रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
सम्पत्ति नं. 3 आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, प्लॉट नं. 530, स्थित महावीर नगर दुसरा, कोटा, राजस्थान, एरिया क्षेत्रफल 962 वर्ग फीट, जो कि श्रीमती अल्का मित्तल, श्रीमती संजना मित्तल के स्वामित्व में है। सीमाएँ:- पूर्व: अन्य प्लॉट पश्चिम: रोड उत्तर: प्लॉट नं. 531 दक्षिण: प्लॉट नं. 529 कुल निर्मित एरिया 2886 वर्ग फीट लगभग	**सम्पत्ति नं. 3 के लिए** आरक्षित मूल्य : रु. 85,00,000/- (रु. पिच्यासी लाख मात्र) ईएमडी : रु. 8,50,000/- (रु. आठ लाख पचास हजार मात्र) बिड इंक्रीमेंटल राशि : रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
सम्पत्ति नं. 4 आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, प्लॉट नं. 221 बी, स्थित तलवण्डी स्कीम, कोटा, राजस्थान, एरिया क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट, जो कि श्री कृष्ण कुमार मित्तल, श्री अरविन्द कुमार मित्तल व श्री अरुण कुमार मित्तल के स्वामित्व में है। सीमाएँ:- पूर्व: प्लॉट नं. 220-बी पश्चिम: प्लॉट नं. 222-बी उत्तर: रास्ता दक्षिण: प्लॉट नं. 248-बी कुल निर्मित एरिया 10400 वर्ग फीट लगभग	**सम्पत्ति नं. 4 के लिए** आरक्षित मूल्य : रु. 2,35,20,000/- (रु. दो करोड़ पेंतीस लाख बीस हजार मात्र) ईएमडी : रु. 23,52,000/- (रु. तेइस लाख बावन हजार मात्र) बिड इंक्रीमेंटल राशि : रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)

नोट:- सिक्योरिटाइजेशन एप्लिकेशन बियरिंग SA No. 530/2025, माननीय DRT, Jaipur, के समक्ष लंबित है। जिसका शीर्षक माधवी ऑयल इण्डस्ट्रिज एलएलपी बनाम ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, आज दिनांक तक, कोई स्टे नहीं है।

सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि नियम एवं शर्तों की अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net व https://www.aubank.in/bank-auction पर जाएँ। ई-निलामी की बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए श्री भानु प्रताप सिंह से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है, मो. नं. 9358002663 व ई-मेल bhanu.singh3@aubank.in

यह सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत एक वैधानिक 15 दिनों का बिक्री नोटिस भी है।
ऋणी व बंधककर्ता को वैधानिक 15 दिनों का बिक्री नोटिस है।

ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: -
1. बंधक परिसंपत्ति की ई-नीलामी बिक्री AUSFB सुरक्षित लेनदार द्वारा "जैसा है, जहां है, "जैसा है वैसा, "जो कुछ भी है और " नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्तसंपत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है। 2. ऑनलाइन ई-नीलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कंपनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूसन, पते का प्रमाण पत्र ईएमडी के साथ, जो आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से देय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, चालू खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK Limited पांचवीं एवं छठी मंजिल, सनी बिग जंक्शन एसटीसी खसरा नंबर 64 से 67, ग्राम सुखईपुरा, न्यू आतिश मार्कट जयपुर 302020, IFSC कोड: AUBL0002011 में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी bhanu.singh3@aubank.in पर रद्द किए गए चेक की कॉपी के साथ आरटीजीएस / एनईएफटी की यूटीआर / रेफरेन्स नंबर भेजने की आवश्यकता होगी। 3. सभी इच्छुक प्रतिभागियों / बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई-नीलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए श्री भानु प्रताप सिंह से संपर्क करें : 9358002663 और ई-मेल bhanu.singh3@aubank.in

स्थान: कोटा, राजस्थान दिनांक: 24 दिसम्बर 2025 **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**